संख्या-09/2023/95/12-5-2023-सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 दिनांकः लखनऊ 27 जनवरी, 2023

विषयः-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मण्डलीय एवं जनपदीय समीक्षा हेतु प्रारूप 9.2 में परिवर्तन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-16/2020/1378/31-2020-06/2017, दिनांक 11.12.2020 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के 37 प्राथमिकता बिन्दुओं की मण्डलीय एवं जनपदीय समीक्षा हेतु कृषि विभाग के तीन बिन्दु क्रमशः पी0एम0 किसान योजना, फसल बीमा योजना एवं सोलर पम्पों की स्थापना सम्मिलित है, जिसमें पी0एम0किसान योजना की समीक्षा प्रारूप 9.2 पर की जाती रही है। योजना की तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए प्रारूप-9.2 (संलग्नक 'क') बनाया गया था, परन्तु इस समय योजना के प्राथमिकता की बिन्दुओं में परिवर्तन होने के कारण प्रारूप 9.2 (संलग्नक 'ख') के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है। इस क्रम में संशोधित प्रपत्र 9.2, संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

2- भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के 37 प्राथमिकता बिन्दुओं के अन्तर्गत पी0एम0किसान योजना की समीक्षा संशोधित प्रारूप पर की जायेगी। कृपया तद्नुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को कृषि अनुभाग-5 के पत्र संख्या-1024/12-5-2022/सा0-1/2019, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कृषि निदेशक, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश।

4. समस्त उप कृषि निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश।

5. नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र संख्या–9.2

पुराना प्रपत्र

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

(नोडल विभाग– कृषि)

गति माह–

वर्ष–2020–21

(इकाई– धनराशि लाख रू0/संख्या में)

क्रम सं0	जनपद	कुल कृषक परिवार	पोर्टल पर फीड डाटा			फिडिंग के लिए अवशेष			फिडिंग प्रतिशत			डाटा सुधार हेतु लम्बित			सुधार किया गया			सुधार हेतु शेष			सुधार प्रतिशत			अभ्युक्ति
			गत माह तक	चालू माह में	कुल योग	गत माह तक	चालू माह में	कुल योग	गत माह तक	चालू माह में	फिडिंग का प्रतिशत	गत माह तक	चालू माह में	कुल योग	गत माह तक	चालू माह में	कुल योग	गत माह तक	चालू माह में	कुल योग	गत माह तक	चालू माह में	सुधार का प्रतिशत (18/14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

संशोधित रूप पत्र(ख)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

(नोडल विभाग– कृषि)

(ओपन सोर्स पंजीकरण के सत्यापन की प्रगति)

क्रम सं0	जनपद	ओपन सोर्स से पंजीकृत कुल कृषकों की संख्या	तहसील स्तर की क्रमिक प्रगति					जनपद स्तर की क्रमिक प्रगति							ओपन सोर्स से कुल पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष कुल सत्यापित प्रगति का प्रतिशत		अभ्युक्ति
			स्वीकृत		अस्वीकृत		अवशेष	स्वीकृत		अस्वीकृत		कुल सत्यापित		अवशेष	गत माह तक	चालू माह तक	
			गत माह तक	चालू माह तक	गत माह तक	चालू माह तक		गत माह तक	चालू माह तक	गत माह तक	चालू माह तक	गत माह तक	चालू माह तक				
1	2	3	4	5	6	7	8(3–5–7)	9	10	11	12	13(9+11)	14(10+12)	15(3-14)	16(13/3)	17(14/3)	18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।